Most Immediate

No. 11019/15/2024-PMA
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya
Police-I Division
* * * *

Room No. 34020, Kartavya Bhavan-3
Janpath, New Delhi
Dated 3rd November, 2025

To

(i) The Chief Secretaries of all the States/UTs
(ii) The Home Secretaries of all the States/UTs
(iii) DsGP of all the States/UTs
(iv) Directors – IB/CBI/SVPNPA/SPG/NCRB/NEPA
(v) DsG – BSF/CRPF/ITBP/CISF/NSG/SSB/NIA/BPR&D/RPF/NCB/NDRF/NHRC/ Assam Rifles (through LOAR)

Sub: Standard Operating Procedure (SOP)/Guidelines for the Award of President of India's Police Colour to Police of States/Union Territories (UTs), Central Armed Police Forces (CAPFs)/ Central Police Organisations (CPOs) and Police Training Academies/Institutes – reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the subject mentioned above and to forward herewith the Standard Operating Procedure (SOP)/Guidelines for the Award of President of India's Police Colour to Police of States/Union Territories (UTs), Central Armed Police Forces (CAPFs)/ Central Police Organisations (CPOs) and Police Training Academies/Institutes, duly approved by the Competent Authority (bilingual copy enclosed –Hindi and English).

2. The Award of President of India's Police Colour to those States/UTs/CAPFs/CPOs and Police Training Academies, who have not been awarded the same so far and if they desires, may send their proposal in accordance with the aforesaid SOP/Guidelines along with all supporting documents to this Ministry.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(D.K. Ghosh)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 011 – 24010098

Copy to:

SO (IT), MHA with request to upload the same on MHA Website [What's New & IPS – Awards – Notification/SOPs]

Standard Operating Procedure (SOP)/Guidelines for the Award of President of India's Police Colour to States/Union Territories (UTs), Central Armed Police Forces (CAPFs)/ Central Police Organisations (CPOs) and Police Training Academies/Institutes

Introduction:

The President's Colour is a prestigious award given to States/UT Police Forces, Central Armed Police Forces/ Central Police Organisations and Police Training Academies/Institutes in India in recognition of their exceptional service to the nation. This prestigious honour is symbolized with a special flag, popularly known as 'Nishan'. In Hindi, it is known as "Rashtrapati ka Nishan".

Objective:

It symbolizes the national recognition, courage, excellence and distinguished service of the Police Forces, Central Police Organisations and Training Academies/Institutes. It acknowledges the distinguished service including achievements in combat, humanitarian operations, training skill and infrastructure of the recipient organisations. Receiving the President's Colour is a matter of prestige, honour and significantly boosts the morale of the Police Force, Central Police Organisations and Training Academies/Institutes.

A) For States/ UTs Police

I. *Eligibility Criteria: -*

The guidelines/parameters on which the proposal would be submitted are as under-

i. The Force should be at least 15 years old.

ii. The Force should have adopted the Model Police Act.

iii. The Force should have their own insignia.

II. *Indicators for Evaluation: -*

The Indicators for evaluation of the proposal and weightage are as under-

Sl.No.	Indicators & Weightage	Present Status (to be provided by the concerned State/UT)
1.	**Strength and Gender Inclusion (5%)** i. Present Police-People Ratio ii. Women Representation in Police	

....2/-

2.	**Medal and Awards (10%)** **Centre -** i. Gallantry Medal (PMG & GM), ii. Service Medal (PSM & MSM) iii. Kendriya Grihmantri Dakshata Padak iv. Parakram Padak **State -** i. Chief Minister's Medals ii. Other State level award (if any) **International -** i. UN Medal /UN Peacekeeping Medal ii. Any other awards for Innovation (e.g. Skoch Award, etc.)	
3.	**Public Safety Indicators (30%)** i. Total FIR registered and Charge sheet filed ii. Crime against weaker Sections: Women /Children, SC/ST (Charge sheet filed rate) iii. Cases of Human Trafficking, Missing Persons and Recovered (Charge sheet filed rate) iv. Crimes under NDPS (Charge sheet filed rate) v. Cybercrime (Charge sheet filed rate) vi. Property Related Crimes and Recovery (Charge sheet filed rate) vii. Case Adjudicated from Court viii. Emergency Services and Law Enforcement a) Traffic Management and Road Safety • Traffic Personnel (Sanctioned/Total force strength) • % of Challans issued to total vehicle registered in the state • Status of deaths to Total Road Accidents b) Emergency Response Support System- ERSS, (112) • Response Time (in minutes) ix. Separation of Crime and Law & Order x. Status of CCTV in Police Station(Operational/Installed)	
4.	**Use of IT Tools (Status as per Pragati Dashboard) (15%)** Current Status of Implementation of Online Portal / Apps like National Narcotics Coordination Portal (NCORD), National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS), Cyber Fraud Mitigation Centre (CFMC), CCTNS in Police stations and integration with e-sakshya and e-summons, Implementation of Online Citizen Centric Services, National Cybercrime Reporting Portal (NCRP)/ CYBER Dost app and Present Status of implementation of NCL related apps/data (Exchange of data between columns of ICJS) Usage %-	

5.	**Administrative and other Parameters (10%)** i. Total Grants received from MHA under various schemes and its Percentage Utilization ii. E-governance in Policing a) Citizen-centric services b) Usage of Management Information Software iii. Status of Police Complaints Authority (Complaints received and disposed) iv. Status of Police Establishment Board (Yes/No) v. SoP for Media Management issued (Yes/No) vi. SoP for Usage of Social Media by Police personnel (Yes/No) vii. Transfer and Leave Policy(Yes/No) viii. Action taken against Police personnel	
6.	**Major Achievements (10%)** i. Major Incidents handled/Events organised (Top five) and Police Response- Like Number of arrest and Number of surrenders made in LWE, Kumbh etc. ii. Disaster Response for Incidents like Flood, Earthquake, Fire, accident etc. - SDRF, Civil Defence availability in disaster prone areas. iii. Establishment of Specialized Units (Sanctioned/Actual Strength) a) Anti-Terror Squad b) Commando Units/QRT c) Mahila Battalions d) State Industrial Security Force e) Anti-Human Trafficking Unit f) K9 Squad g) Mounted Police	
7.	**Recruitment, Training and Capacity Building (10%)** i. Vacancy in the force <10%, 20%, 30% ii. Training and Capacity Building a) e-learning: Number of personnel registered on iGOT Karmayogi (total and registration percentage) and courses done by registered users – Minimum 6 Courses per personnel/year b) Number of in-service training courses organised for various ranks vis-à-vis available personnel in last 5 years (% of force trained) c) Availability of Mid-Career Training Structure (Yes/No) d) Pre- Promotion Course e) Accreditation of Training Institutes either by Capacity Building Commission/ ISO Certification.	

....4/-

8.	**Welfare Measures (10%)** i. Housing Facilities- Satisfaction percentage : CT and Head CT, ASI to Inspector ii. Insurance and other benefits, allowances provided by the State (% of total strength) iii. Cashless Medical Treatment (% of total strength) iv. Mess/Canteen facility provided by the State to the police officers (Yes/No) v. Schools/Hospitals run by police at State/District level(Equivalent to No. of Districts) vi. Steps taken for the welfare of police personnel and their families vii. Scholarships for children of police personnel (Yes/No) viii. Skill Development Centers (Yes/No) ix. Post Retirement Benefit (Yes/No) x. Ex-Gratia Payments (Yes/No) xi. Disability Compensation (Yes/No)	
9.	Design and description of the Flag	
10.	**Other details** i. Enquiries by National/State Human Right Commission. ii. Adverse reports of Magisterial Enquiry into Police Encounters iii. Death in Public Events iv. Public Agitations against Police v. Any other relevant points.	

III. Consideration by the Committee: -

(a) The proposal, as per SOP, received from the concerned States/UTs by the Ministry of Home Affairs will be sent to BPR&D.

(b) BPR&D will scrutinize the proposal in light of SOP/guidelines issued from time to time and submit report to MHA.

(c) The Committee in MHA with following composition will consider the report of BPR&D:

i. Union Home Secretary - Chairperson of Committee
ii. Director, Intelligence Bureau - Member
iii. DG, BPR&D - Member
iv. One DG from the States/UTs (on rotation) – Member*
v. One DG from CAPFs/CPOs (on rotation) – Member*
vi. Joint Secretary (P-I) / Addl. Secretary (P-I) – Member Secretary

* To be nominated by Union Home Secretary.

The recommendation of the Committee to award President of India's Police Colour will be placed before approval of the Competent Authority.

IV. Approval of Competent Authority: -

The Competent Authority for approval is the Hon'ble President of India.

*****

B) For CAPFs/ CPOs

I. Eligibility Criteria: -

The guidelines/parameters on which the proposal would be submitted by CAPFs/CPOs for considering the Award of the President of India's Police Colour are as under-

i. The Force should be at least 15 years old.
ii. The Force should have their own Flag and insignia.

II. Indicators for Evaluation: -

The Indicators for evaluation of the proposal and weightage are as under-

Sl.No	Indicators & Weightage	Present Status (to be provided by the concerned CAPF/CPO)
1.	**Strength and Gender Inclusion (5%)** i. Ratio of sanctioned and actual strength ii. Women Representation in CAPF/CPO (percentage of total number)	
2.	**Medal and Awards (10%)** i. Gallantry Medal (PMG & GM), ii. Service Medal (PSM & MSM) iii. Kendriya Grihmantri Dakshata Padak iv. Parakram Padak Any Other Central/State level award (if any)	
3.	**Major Achievements (15%)** Major Incidents handled/Events organised (Top five) and Response- Like Number of arrest and Number of surrenders made in LWE, Kumbh etc.	
4.	**Establishment of Specialized Units (Sanctioned/Actual Strength) (5%)** i. Anti-Terror Squad ii. Commando Units/QRT iii. Mahila Battalions iv. K9 Squad v. Mounted Police	

5.	**Welfare Measures (10%)** i. Insurance and other benefits, allowances, etc.(% of total strength) ii. Mess/Canteen facility (Yes/No) iii. Scholarships for children of personnel (Yes/No) iv. Percentage of SHAPE-I category of health of the Personnel /Officers of the Force. v. Utilisation of Ayushman. vi. Housing Satisfaction (%) vii. Others	
6.	**Civic Action Initiatives (5%)** Initiatives taken to bridge the gap between the public and force like organising outreach activities from SRE funds etc.	
7.	**Implementation of Rajbhasha (5%)** i. Implementation of Rajbhasha guidelines of the Government of India. (Yes/No) ii. Organizing the Hindi Workshop and Hindi Training for officers and staff (Yes/No)	
8.	**Training and Capacity Building (10%)** i. Leveraging e-learning: Number of personnel registered on iGOT Karmayogi and courses done by registered users in last 5 years. (>90% registration and 6 courses/personnel per year) ii. Number of in-service training courses organised for various ranks vis-à-vis available personnel iii. Accreditation of Training Institutes by Capacity Building Commission/ ISO Certification	
9.	**Promotion of Sports (10%)** i. Activities undertaken for promotion of sporting excellence ii. Details of performance and medals won at National and International level	
10.	**Specific requirement of Yoga (5%)** Activities undertaken to promote Yoga for the well-being of the officers/officials such as Yoga Day and other activities	

11.	**Plantation, Promotion of organic farming and Use of sustainable technologies in campuses by CAPFs/ CPOs (10%)** i. Activities undertaken for plantation & numbering of plants planted under Plantation Drive ii. Activities undertaken to promote organic farming and beekeeping scientifically in campuses iii. Activities undertaken to promote the use of solar energy, rainwater harvesting etc.	
12.	**Use of Khadi (5%)** Action undertaken for effective implementation of the use of Khadi and its resultants (Yes/No)	
13.	**Use of Millets (5%)** Action undertaken for effective implementation of the use of Millets and its resultants (Yes/No)	
14.	Design and description of the Flag	
15.	**Other details** i. Fratricides/Suicides in Forces ii. Any other relevant points	

III. Consideration by the Committee: -

(a) The proposal, as per SOP, received from the concerned CAPFs/CPOs by the Ministry of Home Affairs will be sent to BPR&D.

(b) BPR&D will scrutinize the proposal in light of SOP/guidelines issued from time to time and submit report to MHA.

(c) The Committee in MHA with following composition will consider the report of BPR&D:

i. Union Home Secretary - Chairperson of Committee
ii. Director, Intelligence Bureau - Member
iii. DG, BPR&D - Member
iv. One DG from the States/UTs (on rotation) – Member*
v. One DG from CAPFs/CPOs (on rotation) – Member*
vi. Joint Secretary (P-I) / Addl. Secretary (P-I) – Member Secretary

* To be nominated by Union Home Secretary.

The recommendation of the Committee to award President of India's Police Colour will be placed before approval of the Competent Authority.

IV. Approval of Competent Authority: -

The Competent Authority for approval is the Hon'ble President of India.

*****

C) For Police Training Academies/ Institutes

I. *Eligibility Criteria:-*

The guidelines/parameters on which the proposal would be submitted by Police Training Academies/Institutes for considering the Award of the President of India's Police Colour are as under-

i. The Academy must have been in existence for at least 10 years.
ii. The Academy should have its own insignia.

II. *Indicators for Evaluation: -*

The Indicators for evaluation of the proposal and weightage are as under-

Sl.No	Indicators & Weightage	Present Status (to be provided by the concerned Police training Academy/ Institute)
1.	**Strength and Gender Inclusion (5%)** i. Sanctioned and Actual Strength (Percentage) ii. Women Representation in Training Academy (percentage of available strength)	
2.	**Medals and Awards (5%)** i. National level Awards ii. Awards for Excellence in Police Training by MHA iii. Any other Awards iv. Standardization/Accreditation/Rating by agencies like Capacity Building Commission, NABET etc.	
3.	**Training Infrastructure (15%)** i. Training Capacity- (Rank Wise) ii. Training Facilities - Academic complex, SMART Classrooms, Digital Infrastructure, Forensic Lab, Parade/ Drill Ground/Drill nursery, Firing Range/ Firing Simulators, Swimming Pool, Auditorium with seating Capacity, Open theatre, Stable /Kennel with number of Dogs/Horses with trainers, Library with seating capacity (National & International subscriptions) and E-Library facilities, etc. iii. Accommodation - Hostel Capacity with amenities available (Rank wise), Availability of Hostel for Women with amenities, Staff Quarters, Officers Mess with rooms/ capacity iv. Centre of Excellence (CoE) established and Courses conducted under the aegis of the CoEs v. Any other Indoor/Outdoor advanced Training Infrastructure	

----9/-

4.	**Top Five Major Achievements (5%)** i. Visit of Distinguished guests and personalities of National and International eminence like Hon'ble PM, HM, Heads of the State, Foreign Countries and Others ii. National and International level events hosted e.g., Police Duty Meet, Police Science Congress etc.	
5.	**Green Cover and promotion of Sustainable practices (5%)** i. Green Cover and Activities undertaken for Plantation & Numbering of plants ii. Sustainable technology used in the academy like Solar farm, Eco friendly practices, Rain water harvesting, etc. iii. Solid Waste Management including Food waste management	
6.	**Training Courses conducted (10%)** i. No. of Persons Trained ii. Types of Courses conducted: a) Basic Training Courses b) In-Service Training/ Refresher Course c) Training Conducted for non-police departments d) Foreign Training Courses e) Faculty development Programme f) Leadership Courses g) Training of Trainers (ToT) courses iii. Capacity Utilisation during the cours iv. Training Need Analysis and revision of Training Curriculum (Time period)	
7.	**Training Methodology (10%)** i. Using e-Resource Material, Simulation exercises/ Role Plays ii. Trainee Support, Digitization of In-house Study Material iii. Expert Lectures by Eminent Resource Faculties from other fields like Technology, Academia, Finance, Energy etc. iv. Alumni Engagement Initiatives v. Feedback mechanisms vi. Training Evaluation	
8.	**Training Collaborations & MoUs (5%)** i. MoU with other Academic/ National /International Training Institutions in last five years ii. Number of Courses/ other activities conducted in collaboration with MoU partners	

9.	**Training Material & Publications (5%)** i. Newsletter, Journal, Book, Policy briefs ii. Preparation of E-compendium, Case Studies iii. Publication of Best Practices	
10.	**Leveraging e-learning (5%)** i. Number of personnel registered on i-GoT Karmayogi and courses done by registered users- Minimum Six course per personnel/year ii. E-learning Portal (Knowledge management system)	
11.	**Promotion of Sports (5%)** i. Activities undertaken for Promotion of Sporting excellence ii. Sports Facility (Indoors and Outdoors) iii. Organising the State/National/ International Sports events like athletic meets, aquatic meets, equestrian competitions etc. iv. Activities undertaken for promotion of yoga for well-being of the Trainees, Trainers and Staffs v. Any other significant achievement by the faculty, staff or trainees in Sports	
12.	**Implementation of Rajbhasha (5%)** i. Implementation of Rajbhasha guidelines of the Government of India ii. Organizing Hindi Workshop and Hindi Training for officers and staff	
13.	**Promotion of Use of Millets and Nutrition (5%)** Action undertaken for effective implementation of the use of Millets	
14.	**Promotion of Indian Culture & Ethos, Music (5%)** i. Extra-curricular activities like debates, lectures to promote the Indian Value System ii. Programmes on Special days/cultural programme, etc. iii. Music Band of the Academy and its achievements	
15.	**Welfare Measures (5%)** i. Housing Facilities- Satisfaction percentage : CT and Head CT, ASI to Inspector ii. Canteen facility iii. Schools iv. Skill development centre v. Medical Facilities vi. Creche Facilities vii. Social Outreach /Extension Programmes by the academy for local population.	

16.	**Capacity of Training Academy and Utilisation (5%)** (Actual number of Trainees * Days Utilized per trainee Divided by Sanctioned Capacity* Working Days) *100	
17.	Design and description of the Flag.	
18.	Any other relevant points.	

III. Consideration by the Committee: -

(a) The proposal, as per SOP, received from the concerned Police Training Academies/Institutes by the Ministry of Home Affairs will be sent to BPR&D.

(b) BPR&D will scrutinize the proposal in light of SOP/guidelines issued from time to time and submit report to MHA.

(c) The Committee in MHA with following composition will consider the report of BPR&D:

i. Union Home Secretary - Chairperson of Committee
ii. Director, Intelligence Bureau - Member
iii. DG, BPR&D - Member
iv. One DG from the States/UTs (on rotation) – Member*
v. One DG from CAPFs/CPOs (on rotation) – Member*
vi. Joint Secretary (P-I) / Addl. Secretary (P-I) – Member Secretary

* To be nominated by Union Home Secretary.

The recommendation of the Committee to award President of India's Police Colour will be placed before approval of the Competent Authority.

IV. Approval of Competent Authority: -

The Competent Authority for approval is the Hon'ble President of India.

*****

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)/केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों को भारत के राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/दिशानिर्देश

भूमिका:

राष्ट्रपति का पुलिस कलर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो भारत में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों को राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। इस प्रतिष्ठित सम्मान का प्रतीक एक विशेष ध्वज है, जिसे 'निशान' के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे "राष्ट्रपति का निशान" कहा जाता है।

उद्देश्य:

यह पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों की राष्ट्रीय मान्यता, साहस, उत्कृष्टता और विशिष्ट सेवा का प्रतीक है। यह प्राप्तकर्ता संगठनों की युद्ध, मानवीय अभियानों, प्रशिक्षण कौशल और बुनियादी ढाँचे में उपलब्धियों सहित विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्राप्त करना प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय है और पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठनों और प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों के मनोबल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस के लिए:

I. पात्रता मापदंड: -

जिन दिशा-निर्देशों/पैरामीटरों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, वे निम्नानुसार हैं-

i. बल कम से कम 15 वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए।

ii. बल ने आदर्श पुलिस अधिनियम को अपनाया हो।

iii. बल का अपना प्रतीक चिन्ह होना चाहिए।

II. मूल्यांकन के लिए संकेतक: -

क्रम संख्या	**संकेतक एवं महत्व (Weightage)**	**वर्तमान स्थिति** **(संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा)**
1.	**संख्या और लिंग समावेशन (5%)** i. वर्तमान पुलिस-जनता अनुपात ii. पुलिस में महिला प्रतिनिधित्व	

2.	**पदक और पुरस्कार (10%)** केंद्र - i. वीरता पदक (पीएमजी और जीएम) ii. सेवा पदक (पीएसएम और एमएसएम) iii. केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक iv. पराक्रम पदक राज्य - i. मुख्यमंत्री पदक ii. अन्य राज्य स्तरीय पुरस्कार (यदि कोई हो) अंतर्राष्ट्रीय - i. संयुक्त राष्ट्र पदक/संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पदक ii. नवाचार के लिए कोई अन्य पुरस्कार (जैसे स्कॉच पुरस्कार, आदि)	
3.	**जन सुरक्षा संकेतक (30%)** i. कुल दर्ज एफआईआर और दायर आरोप पत्र ii. कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध: महिलाएं/बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (आरोप पत्र दायर दर) iii. मानव तस्करी, गुमशुदा व्यक्ति और बरामदगी के मामले (आरोप पत्र दायर दर) iv. एनडीपीएस के अंतर्गत अपराध (आरोप पत्र दायर दर) v. साइबर अपराध (आरोप पत्र दायर दर) vi. संपत्ति संबंधी अपराध और वसूली (आरोप पत्र दायर दर) vii. न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णित मामले viii. आपातकालीन सेवाएं और कानून प्रवर्तन क) यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा • यातायात कर्मी (स्वीकृत/कुल बल) • राज्य में पंजीकृत कुल वाहनों के लिए जारी किए गए चालानों का प्रतिशत • कुल सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की स्थिति ख) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली- ईआरएसएस (112) • प्रतिक्रिया समय (मिनटों में) ix. अपराध और कानून-व्यवस्था का पृथक्करण x. पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी की स्थिति (चालू/स्थापित)	

4.	**आईटी उपकरणों का उपयोग (प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार स्थिति) (15%)** राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल (एनसीओआरडी), राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस), साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी), पुलिस थानों में सीसीटीएनएस और ई-सक्षमता एवं ई-समन के साथ एकीकरण, ऑनलाइन नागरिक केंद्रित सेवाओं का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी)/साइबर दोस्त ऐप जैसे ऑनलाइन पोर्टल/ऐप्स के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और एनसीएल से संबंधित ऐप्स/डेटा के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति (आईसीजेएस के स्तंभों के बीच डेटा का आदान-प्रदान) उपयोग %- प्रति व्यक्ति उपयोग की संख्या/प्रति पुलिस स्टेशन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या *100	
5.	**प्रशासनिक एवं अन्य मानदंड (10%)** i. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गृह मंत्रालय से प्राप्त कुल अनुदान (उपयोग का प्रतिशत) ii. पुलिस व्यवस्था में ई-गवर्नेंस क) नागरिक-केंद्रित सेवाएँ ख) प्रबंधन सूचना सॉफ्टवेयर का उपयोग iii. पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थिति (प्राप्त और निपटाई गई शिकायतें) iv. पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थिति (हाँ/नहीं) v. मीडिया प्रबंधन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया (हाँ/नहीं) vi. पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (हाँ/नहीं) vii. स्थानांतरण एवं अवकाश नीति (हाँ/नहीं) viii. पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	
6.	**प्रमुख उपलब्धियाँ (10%)** i. प्रमुख घटनाओं/आयोजित कार्यक्रमों (शीर्ष पाँच) और पुलिस प्रतिक्रिया - जैसे वामपंथी उग्रवाद, कुंभ आदि में गिरफ्तारियों और आत्मसमर्पणों की संख्या ii. बाढ़, भूकंप, आग, दुर्घटना आदि जैसी घटनाओं के लिए आपदा प्रतिक्रिया (02) - आपदा संभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा की उपलब्धता iii. विशिष्ट इकाइयों की स्थापना (स्वीकृत/वास्तविक संख्या) क) आतंकवाद-रोधी दस्ता ख) कमांडो इकाइयाँ/क्यूआरटी	

	ग) महिला बटालियन घ) राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल ड़) मानव तस्करी विरोधी इकाई च) K9 दस्ता छ) घुड़सवार पुलिस	
7.	**भर्ती, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (10%)** i. बल में रिक्तियाँ <10%, 20%, 30% ii. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण क. ई-लर्निंग: iGOT कर्मयोगी पर पंजीकृत कर्मियों की संख्या (कुल और पंजीकरण प्रतिशत) और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए पाठ्यक्रम – प्रति कार्मिक प्रति वर्ष न्यूनतम 6 पाठ्यक्रम ख. पिछले 5 वर्षों में उपलब्ध बल के सापेक्ष विभिन्न रैंकों के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या (प्रशिक्षित बल का %) ग. मध्य-कैरियर प्रशिक्षण संरचना की उपलब्धता (हाँ/नहीं) घ. पदोन्नति-पूर्व पाठ्यक्रम ङ. क्षमता निर्माण आयोग/आईएसओ प्रमाणन द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन	
8.	**कल्याणकारी उपाय (10%)** i. आवास सुविधाएँ - संतुष्टि प्रतिशत: कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, एएसआई से इंस्पेक्टर तक ii. राज्य द्वारा प्रदान किए गए बीमा और अन्य लाभ, भत्ते (कुल संख्या का %) iii. कैशलेस चिकित्सा उपचार (कुल संख्या का %) iv. राज्य द्वारा पुलिस अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली मेस/कैंटीन सुविधा (हाँ/नहीं) v. राज्य/ज़िला स्तर पर पुलिस द्वारा संचालित स्कूल/अस्पताल (ज़िला संख्या के बराबर) vi. पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम vii. पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (हाँ/नहीं) viii. कौशल विकास केंद्र (हाँ/नहीं) ix. सेवानिवृत्ति के बाद लाभ (हाँ/नहीं) x. अनुग्रह भुगतान (हाँ/नहीं) xi. विकलांगता क्षतिपूर्ति (हाँ/नहीं)	
9.	ध्वज का डिज़ाइन और विवरण	

....5/-

10.	**अन्य विवरण** i. राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जाँच ii. पुलिस मुठभेड़ों की मजिस्ट्रेट जाँच की प्रतिकूल रिपोर्ट iii. सार्वजनिक कार्यक्रमों में मृत्यु iv. पुलिस के विरुद्ध जन आंदोलन v. कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु	

III. समिति द्वारा विचार: -

(क) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से गृह मंत्रालय को प्राप्त प्रस्ताव को बीपीआरएंडडी को अग्रसरित किया जाएगा।

(ख) बीपीआरएंडडी समय-समय पर जारी एसओपी/दिशानिर्देशों के आलोक में प्रस्ताव की जांच करेगा और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ग) गृह मंत्रालय में निम्नलिखित संरचना वाली समिति बीपीआरएंडडी की रिपोर्ट पर विचार करेगी:

i. केंद्रीय गृह सचिव - समिति कें अध्यक्ष

ii. निदेशक, आसूचना ब्यूरो - सदस्य

iii. महानिदेशक, बीपीआरएंडडी - सदस्य

iv. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एक महानिदेशक (रोटेशन पर) – सदस्य*

v. सीएपीएफ/सीपीओ से एक महानिदेशक (रोटेशन पर) – सदस्य*

vi. संयुक्त सचिव (पुलिस-I) / अपर सचिव (पुलिस-I) – सदस्य सचिव

* केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नामित किया जाएगा

भारत के राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करने के लिए समिति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाएगी।

IV. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन: -

अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं।

*****

....6-

ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)/ केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के लिए:

I. पात्रता मापदंड: -

जिन दिशा-निर्देशों/पैरामीटरों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, वे निम्नानुसार हैं-

i. बल कम से कम 15 वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए।
ii. बल का अपना ध्वज और प्रतीक चिन्ह होना चाहिए।

II. मूल्यांकन के लिए संकेतक: -

क्रम संख्या	संकेतक महत्व (Weightage)	वर्तमान स्थिति (संबंधित CAPF/CPO द्वारा प्रदान किया जाएगा)
1.	**संख्या और लिंग समावेशन (5%)** i. स्वीकृत और वास्तविक संख्या का अनुपात ii. सीएपीएफ/सीपीओ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (कुल संख्या का प्रतिशत)	
2.	**पदक और पुरस्कार (10%)** केंद्र - i. वीरता पदक (पीएमजी और जीएम) ii. सेवा पदक (पीएसएम और एमएसएम) iii. केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक iv. पराक्रम पदक कोई अन्य केंद्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार (यदि कोई हो)	
3.	**प्रमुख उपलब्धियाँ (15%)** प्रमुख घटनाओ का प्रबंधन/आयोजित कार्यक्रम (शीर्ष पाँच) और प्रतिक्रिया - जैसे वामपंथी उग्रवाद, कुंभ आदि में गिरफ्तारियों की संख्या और आत्मसमर्पण की संख्या	
4.	**विशिष्ट इकाइयों की स्थापना (स्वीकृत/वास्तविक संख्या) (5%)** i. आतंकवाद-रोधी दस्ता ii. कमांडो इकाइयाँ/क्यूआरटी iii. महिला बटालियन iv. K9 दस्ता v. घुड़सवार पुलिस	

5.	**कल्याणकारी उपाय (10%)** i. बीमा और अन्य लाभ, भत्ते आदि (कुल संख्या का %) ii. मेस/कैंटीन सुविधा (हाँ/नहीं) iii. कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (हाँ/नहीं) iv. बल के कार्मिकों/अधिकारियों के स्वास्थ्य की SHAPE-I श्रेणी का प्रतिशत v. आयुष्मान योजना का उपयोग vi. आवास संतुष्टि (%) vii. अन्य	
6.	**नागरिक कार्रवाई पहल (5%)** जनता और पुलिस के बीच की खाई को पाटने के लिए की गई पहल, जैसे कि एसआरई निधि से आउटरीच गतिविधियों का आयोजन आदि	
7.	**राजभाषा कार्यान्वयन (5%)** i. भारत सरकार के राजभाषा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन (हाँ/नहीं) ii. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी प्रशिक्षण का आयोजन (हाँ/नहीं)	
8.	**प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (10%)** i. ई-लर्निंग का लाभ उठाना: पिछले 5 वर्षों में iGOT कर्मयोगी पर पंजीकृत कर्मियों की संख्या और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए पाठ्यक्रम। (प्रति वर्ष 90% से अधिक पंजीकरण और 6 पाठ्यक्रम/ प्रति कार्मिक) ii. उपलब्ध बल के सापेक्ष विभिन्न रैंकों के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या iii. क्षमता निर्माण आयोग/आईएसओ प्रमाणन द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन	
9.	**खेलों को बढ़ावा देना (10%)** i. खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियाँ ii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन और जीते गए पदकों का विवरण	
10.	**योग की विशिष्ट आवश्यकता (5%)** अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण हेतु योग को बढ़ावा देने के लिए दिवस और अन्य गतिविधियाँ	
11.	**सीएपीएफ/सीपीओ द्वारा परिसरों में वृक्षारोपण, जैविक खेती को बढ़ावा देना और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का उपयोग (10%)** i. वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण और रोपे गए पौधों की संख्या निर्धारण के लिए की गई गतिविधियाँ ii. परिसरों में वैज्ञानिक रूप से जैविक खेती और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियाँ iii. सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन आदि के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियाँ	

---8/-

12.	**खादी का उपयोग (5%)** खादी के उपयोग और उसके परिणामों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गई कार्रवाई (हाँ/नहीं)	
13.	**श्री अन्न (Millets) का उपयोग (5%)** श्री अन्न (Millets) के उपयोग और उसके परिणामों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई (हाँ/नहीं)	
14.	ध्वज का डिज़ाइन और विवरण	
15.	**अन्य विवरण** i. बल में भ्रातृहत्या/आत्महत्याएँ ii. कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु	

III. समिति द्वारा विचार: -

(क) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों से गृह मंत्रालय को प्राप्त प्रस्ताव को बीपीआरएंडडी को अग्रसरित किया जाएगा।

(ख) बीपीआरएंडडी समय-समय पर जारी एसओपी/दिशानिर्देशों के आलोक में प्रस्ताव की जांच करेगा और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ग) गृह मंत्रालय में निम्नलिखित संरचना वाली समिति बीपीआरएंडडी की रिपोर्ट पर विचार करेगी:

i. केंद्रीय गृह सचिव - समिति के अध्यक्ष

ii. निदेशक, आसूचना ब्यूरो - सदस्य

iii. महानिदेशक, बीपीआरएंडडी - सदस्य

iv. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एक महानिदेशक (रोटेशन पर) – सदस्य*

v. सीएपीएफ/सीपीओ से एक महानिदेशक (रोटेशन पर) – सदस्य*

vi. संयुक्त सचिव (पुलिस-I) / अपर सचिव (पुलिस-I) – सदस्य सचिव

* केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नामित किया जाएगा

भारत के राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करने के लिए समिति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाएगी।

IV. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन: -

अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं।

*****

ग) पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों/ संस्थानों के लिए:

I. पात्रता मापदंड: -

जिन दिशा-निर्देशों/पैरामीटरों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, वे निम्नानुसार हैं-

i. अकादमी कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए।
ii. अकादमी का अपना प्रतीक चिन्ह होना चाहिए।

II. मूल्यांकन के लिए संकेतक: -

क्रम संख्या	संकेतक महत्व (Weightage)	वर्तमान स्थिति (संबंधित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी/संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा)
1.	**संख्या और लिंग समावेशन (5%)** i. स्वीकृत और वास्तविक संख्या (प्रतिशत) ii. प्रशिक्षण अकादमी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (उपलब्ध संख्या का प्रतिशत)	
2.	**पदक और पुरस्कार (5%)** i. राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार ii. गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार iii. कोई अन्य पुरस्कार iv. क्षमता निर्माण आयोग, एनएबीईटी आदि जैसी एजेंसियों द्वारा मानकीकरण/प्रत्यायन/रेटिंग	
3.	**प्रशिक्षण अवसंरचना (15%)** i. प्रशिक्षण क्षमता- (रैंक के अनुसार) ii. प्रशिक्षण सुविधाएँ - शैक्षणिक परिसर, स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल अवसंरचना, फोरेंसिक लैब, परेड/ड्रिल ग्राउंड/ड्रिल नर्सरी, फायरिंग रेंज/फायरिंग सिमुलेटर, स्विमिंग पूल, बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, ओपन थिएटर, प्रशिक्षकों के साथ कुत्तों/घोड़ों की संख्या वाला अस्तबल/केनेल, बैठने की क्षमता वाला पुस्तकालय (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता) और ई-लाइब्रेरी सुविधाएँ, आदि iii. आवास - उपलब्ध सुविधाओं सहित छात्रावास क्षमता (रैंक के अनुसार), महिलाओं के लिए सुविधाओं सहित छात्रावास की उपलब्धता, स्टाफ क्वार्टर, कमरों/क्षमता सहित अधिकारी मेस iv. उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना और सीओई के तत्वावधान में संचालित पाठ्यक्रम v. कोई अन्य इनडोर/आउटडोर उन्नत प्रशिक्षण अवसंरचना	

4.	**शीर्ष पाँच प्रमुख उपलब्धियाँ (5%)** i. माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और अन्य जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशिष्ट अतिथियों और हस्तियों का आगमन ii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे पुलिस ड्यूटी मीट, पुलिस विज्ञान कांग्रेस आदि	
5.	**हरित आवरण और सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देना (5%)** i. हरित आवरण और वृक्षारोपण एवं पौधों की संख्या निर्धारण हेतु की गई गतिविधियाँ ii. अकादमी में प्रयुक्त सतत् प्रौद्योगिकी जैसे सौर ऊर्जा फार्म, पर्यावरण अनुकूल प्रथाएँ, वर्षा जल संचयन आदि iii. खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	
6.	**आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (10%)** i. प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ii. आयोजित पाठ्यक्रमों के प्रकार: क) आयोजित बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ख) आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ग) गैर-पुलिस विभागों के लिए आयोजित प्रशिक्षण घ) विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ड़) संकाय विकास कार्यक्रम च) आयोजित नेतृत्व पाठ्यक्रम छ) आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToT) की संख्या iii. पाठ्यक्रम के दौरान क्षमता उपयोग iv. प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन (समयावधि)	
7.	**प्रशिक्षण पद्धति (5%)** i. ई-संसाधन सामग्री का उपयोग, अनुकरण अभ्यास/रोल प्ले ii. प्रशिक्षु सहायता, आंतरिक अध्ययन सामग्री का डिजिटलीकरण iii. प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वित्त, ऊर्जा आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संसाधन संकायों द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान iv. पूर्व छात्र सहभागिता पहल v. प्रतिक्रिया तंत्र vi. प्रशिक्षण मूल्यांकन	
8.	**प्रशिक्षण सहयोग एवं समझौता ज्ञापन (5%)** i. पिछले पाँच वर्षों में अन्य शैक्षणिक/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन ii. समझौता ज्ञापन भागीदारों के सहयोग से संचालित पाठ्यक्रमों/अन्य गतिविधियों की संख्या	
9.	**प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रकाशन (5%)** i. समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, नीति संक्षिप्त विवरण ii. ई-संकलन, केस स्टडीज़ तैयार करना iii. सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रकाशन	

10.	**ई-लर्निंग का लाभ उठाना (5%)** i. i-GoT कर्मयोगी पर पंजीकृत कर्मियों की संख्या और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए पाठ्यक्रम - प्रति कर्मचारी/ प्रति वर्ष न्यूनतम छह पाठ्यक्रम ii. ई-लर्निंग पोर्टल (ज्ञान प्रबंधन प्रणाली)	
11.	**खेलों को बढ़ावा देना (5%)** i. खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियाँ ii. खेल सुविधाएँ (इनडोर और आउटडोर) iii. एथलेटिक मीट, एक्वाटिक मीट, घुड़सवारी प्रतियोगिताएँ आदि जैसे राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन iv. प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए योग को बढ़ावा देने हेतु की गई गतिविधियाँ v. खेल के क्षेत्र में संकाय, कर्मचारियों या प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि	
12.	**राजभाषा कार्यान्वयन (5%)** i. भारत सरकार के राजभाषा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन ii. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी प्रशिक्षण का आयोजन	
13.	**श्री अन्न (Millets) के उपयोग और पोषण को बढ़ावा देना (5%)** श्री अन्न (Millets) के उपयोग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई	
14.	**भारतीय संस्कृति एवं लोकाचार, संगीत का प्रचार-प्रसार (5%)** i. भारतीय मूल्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वाद-विवाद, व्याख्यान जैसी पाठ्येतर गतिविधियाँ ii. विशेष दिवसों पर कार्यक्रम/सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि iii. अकादमी का संगीत बैंड और उसकी उपलब्धियाँ	
15.	**कल्याणकारी उपाय (5%)** i. आवास सुविधाएँ - संतुष्टि प्रतिशत: कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, एएसआई से इंस्पेक्टर तक ii. कैंटीन सुविधा iii. स्कूल iv. कौशल विकास केंद्र v. चिकित्सा सुविधाएँ vi. क्रेच सुविधाएँ vii.स्थानीय आबादी के लिए अकादमी द्वारा सामाजिक आउटरीच/विस्तार कार्यक्रम	

....12/-

16.	**प्रशिक्षण अकादमी की क्षमता और उपयोग (5%)** (प्रशिक्षुओं की वास्तविक संख्या * प्रति प्रशिक्षु उपयोग किए गए दिन को स्वीकृत क्षमता से विभाजित करके * कार्य दिवस) *100	
17.	ध्वज का डिज़ाइन और विवरण	
18.	कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु	

III. समिति द्वारा विचार: -

(क) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार संबंधित पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों से गृह मंत्रालय को प्राप्त प्रस्ताव को बीपीआरएंडडी को अग्रसरित किया जाएगा।

(ख) बीपीआरएंडडी समय-समय पर जारी एसओपी/दिशानिर्देशों के आलोक में प्रस्ताव की जांच करेगा और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ग) गृह मंत्रालय में निम्नलिखित संरचना वाली समिति बीपीआरएंडडी की रिपोर्ट पर विचार करेगी:

i. केंद्रीय गृह सचिव - समिति के अध्यक्ष

ii. निदेशक, आसूचना ब्यूरो - सदस्य

iii. महानिदेशक, बीपीआरएंडडी - सदस्य

iv. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एक महानिदेशक (रोटेशन पर) – सदस्य*

v. सीएपीएफ/सीपीओ से एक महानिदेशक (रोटेशन पर) – सदस्य*

vi. संयुक्त सचिव (पुलिस - I) / अपर सचिव (पुलिस- I) – सदस्य सचिव

* केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नामित किया जाएगा

भारत के राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करने के लिए समिति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाएगी।

IV. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन: -

अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं।

*****